

अनुक्रमांक	कक्ष क्रमांक	कमियों का विवरण
2	804	कुछ भाग में घना वन है तथा कुछ भाग में खेती दिखाई दे रही है।
3	877	कुछ भाग में घना वन है।
4	746	कुछ भाग में खेती दिखाई दे रही है।
5	17	उपरी भाग में घना वन है।
8	399	कुछ भाग में घना वन है तथा कुछ भाग में खेती दिखाई दे रही है।
9	287	कुछ भाग में खेती दिखाई दे रही है।
10	402	कुछ भाग में घना वन है।
12	187	अतिक्रमण दिखाई दे रहा है।
17	772	कुछ भाग में घना वन है।

निम्न KML फाइल का अवलोकन करने पर यह पाया कि चयनित क्षेत्र में या तो इसके किसी भाग में घना वन है या इसमें खेती हो रही है। अतः निम्नलिखित KML फाइलों का पुनः परीक्षण करें:-

अनुक्रमांक	कक्ष क्रमांक
1	813
6	848
7	75
11	424
13	178
14	246
15	578
16	1
18	605
19	606
20	612
21	669
22	158
23	182

आपके द्वारा उक्त प्रस्ताव पर इस कार्यालय द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति कर भेजा गया है। इस योजना में प्रभावित वन भूमि 467.809 हेक्टेयर के विरुद्ध कुल 23 स्थलों पर 936 हेक्टेयर बिगाड़े वनों में क्षतिपूर्ति रोपण किया जाना है। क्षतिपूर्ति रोपण हेतु चयनित 23 स्थलों की KML फाइल का अवलोकन करने पर यह पाया कि निम्नलिखित KML फाइलें ही सही हैं:-

—0—

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक/1948, दिनांक 23.02.2017

वन भूमि प्रत्यावर्तित करने बाबत।

विषय:-सिंगरौली जिले में एन.सी.एल. की दृष्टीवशा आपन कास्ट माईनिंग हेतु 467.809 हेक्टेयर

मुख्य वन संरक्षक,
श्रीवा वृत्त, मध्यप्रदेश।

प्रति,

क्रमांक/एक-1/584

भोपाल, दिनांक 25-02-2017

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-मू-प्रबंध)
प्रथम मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (MP-50)

सिद्धि पाल संरक्षक
सिद्धि पाल (अ.प.)

प्रतिनिधि :- अनमोल सिद्धि पाल (अ.प.) की ओर
अपर प्रधान सुरक्षक अनमोल (अ.प.) के
पु.क. 585/एक-1/584 दिनांक 25-2-17 के
आदेशों के अन्तर्गत निम्न में उल्लेख की गई बातों को
अनुपालन करने में देरी हो रही है।
अनुपालन करने में देरी हो रही है।
अनुपालन करने में देरी हो रही है।
अनुपालन करने में देरी हो रही है।

दिनांक 1-3-17

पु.क. 585/एक-1/584

अनुपालन करने में देरी हो रही है।

अपर प्रधान सुरक्षक अनमोल (अ.प.) के
पु.क. 585/एक-1/584

अ.प.

की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रिम है।

1. वन मंडल अधिकारी (सामान्य) वन मंडल, अधिकारी, सिद्धि पाल, मध्यप्रदेश।
2. महाप्रबंधक, वृक्षीयता परियोजना, नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड, पोस्ट खडिया, जिला सोनमद, उत्तर प्रदेश।

पु.क. 585/एक-1/584

दिनांक 25-02-2017

अपर प्रधान सुरक्षक अनमोल (अ.प.) के
पु.क. 585/एक-1/584

अ.प.

अतः वक्त 09 स्थल क्षतिपूर्ति योजना के लिये उचित प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अतः इन सभी 09 स्थलों का तत्काल परीक्षण करवाकर अपना प्रतिवेदन 15 दिनों में प्रस्तुत करें। यदि आवश्यकता हो तो स्थल में परिवर्तन कर प्राक्कलन में आवश्यक सुधार करें।